क्रम—संख्या — 327 रजि. नं. एल. डब्लू. / एन.पी.899 लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.—41 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 22 दिसम्बर, 1999 पौष 1, 1921 शक सम्वत

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग — 1

संख्या 6396 / 9 आवास—1—339 डीएध्83 लखनऊ, 22 दिसम्बर, 1999

अधिसूचना

प0आ0-626

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (उपान्तरों सिहत पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और उपान्तरित नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या—11 सन् 1973) की धारा—39—क के साथ पिठत धारा—55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस विषय पर जारी समस्त विद्यमान नियमों और अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :— आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली,

- 1--(1) यह नियमावली आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999 कही जायेगी।
 - (2) यह आगरा विकास क्षेत्र पर लागू होगी, और
 - (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी 2—जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,

इस नियमावली में :--

- (क) ''विकास क्षेत्र'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा—3 के अधीन घोषित विकास क्षेत्र से है;
- (ख) ''लोक प्रिय समागम स्थान'' का तात्पर्य ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अन्य भवनों से है जो नियम–3 के अधीन विर्निदिष्ट है ;
- (ग) ''पथकर नाका / चौकी'' का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां पर पथकर के निर्धारण और संग्रह से सम्बन्धित कार्य किया जायेगा।
- 3— निम्नलिखित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों को एतद्द्वारा इस नियमावली के प्रयोजनार्थ लोकप्रिय समागम के रूप में अधिसूचित किया जाता है:—
 - (1) ताजमहल
 - (2) आगरा का किला
 - (3) सिकन्दरा
 - (4) एत्माद्दौला
 - (5) फतेहपुर सीकरी।
- 4-- (1) लोकप्रिय समागम के किसी स्थान के लिये प्रत्येक परिदर्शक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ ;4द्ध में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर लिया जायेगा :-

अनुसूची पथकर की दर परिदर्शकों लोकप्रिय समागम अवधि जिसके लिये की श्रेणी के नाम पथकर लिया जाएगा (रु0 में) ताजमहल और अन्य लोकप्रिय पूरा दिन (रात्रि को छोड़कर) 1.. विदेशी 500 / -समागम के स्थान। ताजमहल और अन्य लोकप्रिय रात्रि 7.30 सायं से 6.00 1000 / -समागम के स्थान प्रात: तक पूरे दिन 50/-ताजमहल / किला को छोड़कर पूरे दिन 10/-अन्य रमारक ताजमहल और अन्य लोकप्रिय 6.00 प्रातः से 8.00 या 4.30 2.. भारतीय 100 / -समागम के स्थान सायं से 7.30 सायं तक 8.00 प्रातः से 4.30 सायं तक ताजमहल 10 / -ताजमहल और अन्य लोकप्रिय रात्रि 7.30 सायं से 6.00 प्रातः तक200/-समागम के स्थान प्रातः काल ताजमहल / किला को छोडकर पूरे दिन 10/-अन्य स्मारक

- (2) लोकप्रिय समागम के किसी स्थान में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक परिदर्शक पथकर नाका/चौकी पर रूकेगा और अनुमन्य पथकर देने के पश्चात टिकट खरीदेगा।
- (3) आगरा विकास प्राधिकरण के किसी जांच कर्मचारी के मांगने पर प्रत्येक परिदर्शक टिकट दिखायेगा।
- 5-(1) लोकप्रिय समागम के स्थानों पर सप्ताह के किसी दिन को जैसा कि आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ आगरा में व्यापक प्रचलन वाले कम से कम दो समाचार—पत्रों में घोषित किया जाय, पथकर नहीं लिया जायेगा।
 - (2) पथकर का भुगतान करने से मुक्त होंगें :--
 - (क) 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे;

- (ख) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लेफ्टीनेन्ट, गर्वनर, मुख्य आयुक्त और भारत सरकार के और राज्य सरकार के भी सदस्यगण;
 - (ग) आगरा विकास प्राधिकरण के जांच कर्मचारी;
- (घ) सरकार के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो ऐसे स्थानों पर कार्य या जांच के लिये जायं:
 - (ड.) भारत सरकार और राज्य सरकार के ऐसे अतिथि जो अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति होगें;
 - (च) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष छूट देना उपयुक्त समझें;
 - (छ) भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा लाइसेन्स प्राप्त पर्वप्रदर्शक और फोटोग्राफर; परन्तु—
- (1) यह छूट केवल उन व्यक्तियों को अनुमन्य होगी जो वास्तव में पथ प्रदर्शक या फोटोग्राफर के रूप में कार्य करते हों ।
- (2) कोई भी व्यक्ति लोकप्रिय समागम के स्थानों में प्रवेश करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने अपेक्षित पथकर देने के पश्चात विहित टिकट न खरीद लिया हो।
- (3) ऐसे टिकट का प्रयोग केवल एक बार किया जायेगा बिका हुआ टिकट या उसका कूपन अनन्तरणीय होगा और भुगतान किया गया पथकर वापस नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से, अतुल कुमार गुप्ता, सचिव।

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution,the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6369/IX-Aa-1-339DA-83 dated, December 22, 1999:

No. 6369/IX-Aa-1-339DA-83 Dated Lucknow, December 22, 1999

IN exercise of the powers under section 55 read with section 39-A of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted and modified by the Uttar Pradesh President's (Re-enactment with modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) and in supersession of all existing rules and notifications on the subject, the Governor is pleased to make the following rules:

THE AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY (ASSESSMENT AND COLLECTION OF TOLL) RULES, 1999

- 1. (1) These rules shall be called the Agra Development Authority (Assessment and collection of Toll) Rules,1999;
 - (2) They shall be applicable to Agra Development Area; and
 - (3) They shall come into force with effect from the date of their publication on the Gazette.
 - 2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context -
- (a) "Development Area" means the development area declared under section 3 of the Uttar Pradesh Urban planning and Development Act, 1973;
- (b) "Place of popular resort" means such ancient and historical monuments and other buildings as are specified under rule 3;
- (c) "Toll Barrier/Post" means the place where the work relating to assessment and collection of Toll shall be undertaken.
- 3. The following ancient and historical monuments are hereby notified as place of popular resort for purpose of these rules:
 - (1) Taj Mahal
 - (2) Agra Fort
 - (3) Sikandra
 - (4) Etmadduddaula
 - (5) Fatehpur Sikri
- 4. (1) Toll shall be charged from every visitor to any place of popular resort at the specified in Column(G) of the schedule below rates:-

SCHEDULE

Category of visitors	Name of popular resort	period for which Toll shall be charged	Rate of Toll (in Rs.)
1	2	3	4
1. Foreigners	Taj Mahal and other place of popular resort.	Whole day, except night	500
11	Taj Mahal and other places of popular resort.	Night (from 7.30 p.m. to 6.00 a.m.)	1000
"	Fort	Whole day	50
"	Other than Taj/Fort	Whole day	10
2. Indians	Taj mahal and other places of popular resort.	From 6.00 a.m. to 8.00 a.m or 4.30 p.m. to 7.30 p.m.	n 100
"	Taj Mahal	From 8.00 a.m to 4.30 p.m	n. 10
"	Taj Mahal and other	Night from 7.30 p.m.	
	places of popular resort.	to 6.00 a.m.	200
	Other than Taj	Whole day	10

- (2) Before entering a place of popular resort, every visitor shall stop at the Toll Barrier/out Post and buy a ticket after paying the admissible toll.
- (3) Every visitor shall show the ticket on demand by any checking staff of Agra Development Authority.
- 5. (1) Toll shall not be realised at the places of popular resort during day time on any one day of the week, as may be declared for the purpose by the Vice Chairman, Agra Development Authority in atleast two news-papers having wide circulation in Agra.
- (2) The following classes of visitors shall be exempted from the payment of Toll:-
 - (a) Children upto age of 15 years;
- (b) The President of India, Vice- President of India, Governors of States, Lieutenant Governors, Chief Commissioners and Members of the Government of India as also the State Government;
 - (c) The checking staff of the Agra Development Authortiy;
 - (d) The Officers and employees of Government who shall visit such places for work or checking,
- (e) The guests of Government of India and the State Government who shall be very important persons;
- (f) Such persons as may be treated appropriate for being exempted by the Vice-Chairman, Agra development Authority;
 - (g) Guides and photographers licenced by the Archeology Department of the Government of India. Provided that-
 - (1) This exemption shall be admissible to the persons actually working as guide or photographer.
- (2) No person shall be entitled to enter the places of popular resort unless he has purchased the prescribed ticket after paying the requisite toll;
- (3) Such a ticket shall be used once only. The sold ticket or its coupon shall be non-transferable and toll paid shall be non-refundable.

By order, ATUL KUMAR GUPTA Sachiv.

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 2 सा0 आवास--(1712)--1999--1,000 (esd0)